FORM - III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी {राजस्व}, श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर

अर्शदीप सिंह **बनाम** राजस्थान सरकार

अन्तर्गत धारा 88 आरटीए, 136 एलआरएक्ट नम्बर 49 सन् 2023

जी.सी.एम.एस. नम्बर 2023/77

तामिल हुकम	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
27.03.2023	प्रार्थी अर्शदीप सिंह पुत्र नरेन्द्र सिंह जाति रामदासिया निवासी 3 एक्स तहसील श्रीकरणपुर की ओर से अधिवक्ता श्री सतीश कुमार अरोडा ने वादपत्र अन्तर्गत धारा 88 आरटीए, 136 एलआरएक्ट पेश किया। वादपत्र दर्ज रजिस्टर किया जावे। वादपत्र के संबध में रिपोर्ट तहसीलदार हेतु पत्र लिखा जावे। प्रतिवादी को जरिए सम्मन तलब किया जाकर पत्रावली दिनांक 26.04.2023 को पेश हो।	
26/5/23	प्रार्थी अधिवक्ता उपस्थित श्रीमान PO महोदय PGJKS के अभियान मे व्यस्त है पत्रावली दिनांक 24/5/23 को पेश हो	
24/05/23	आज यह पत्रावली प्रशासन गांवो के संग अभियान-2023, ग्रा.प. 61 F मे पेश हुई। शामिल मिसल की रिपोर्ट TDR KPR प्राप्त हुई। प्रार्थी को सुना गया व पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थी/वादी का वादपत्र रिपोर्ट TDR KPR व शपथ पत्र के आधार पर स्वीकार किया जाता है। निर्णय अलग से लिखवाया जाकर सुनाया गया। निर्णीत होकर नम्बर से कम होकर दाखिल [illegible]	

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीकरणपुर (श्रीगंगानगर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2023.06.09 14:50:07 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय, उपखण्ड अधिकारी एंव पदेन भू-अभिलेख अधिकारी
श्रीकरणपुर, जिला श्री गंगानगर

पीठासीन अधिकारी : श्री सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या : 49/2023

वादी	बनाम	प्रतिवादी
1 अर्शदीप सिंह पुत्र नरेन्द्र सिंह जाति रामदासिया निवासी 3 एक्स तहसील श्री करणपुर जिला श्रीगंगानगर।		1. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार श्रीकरणपुर

तारीख रजू:- 27.03.2023

उपस्थित: 1.श्री सतीश कुमार अरोड़ा अधिवक्ता वादी

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88 आरटीए, 136 एलआरएक्ट,

--निर्णय-- दिनांक :24.05.2023

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादी के द्वारा वाद पत्र पेश कर निवेदन किया कि राजस्व ग्राम चक 3 एक्स के खाता संख्या 3/3 के मुरब्बा नम्बर 26, 42, 57, 66/46 की कुल 2.049 हैक्टेयर नहरी मय खाला भूमि मुझ वादी के नाम से दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। उक्त खाता मे वादी का नाम अर्शदीप सिंह (नाबालिग) पुत्र नरेन्द्र सिंह जाति रामदासिया अंकित है। वादी के माता पिता का देहान्त वर्ष 2009 में हो गया था तब वादी को उक्त भूमि विरासत में प्राप्त हुई थी। वर्तमान में वादी की आयु 21 वर्ष 10 माह हो चुकी है एंव वादी बालिग हो चुका है, इसलिए वादी अब उक्त जमाबन्दी में अपने नाम के आगे से नाबालिग शब्द को हटवाना चाहता है और अपना नाम अर्शदीप सिंह पुत्र नरेन्द्र सिंह उक्त जमाबन्दी में करवाना चाहता है। वादी की जन्म दिनांक 23.05.2001 है। राजस्व अभिलेख में वादी के नाम में भिन्नता होने के कारण, वादी को हर समय भारी कठिनाईयों का सामना करना पडता है। कृषि भूमि को हिस्सा, ठेका पर काश्त करवाने, पानी की बारी बंधवाने, कृषि भूमि पर बैंक ऋण आदि प्राप्त करने, कृषि भूमि पर प्राप्त होने वाली राज्य सरकार/केन्द्र सरकार से अनुदान राशि, मुआवजा राशि इत्यादि प्राप्त करने अन्य विभिन्न समस्याओं से झूजना पड़ता है। वादी आज से 7 रोज पूर्व हल्का पटवारी के पास जाकर राजस्व रिकॉर्ड में वादी के नाम के साथ नाबालिग हटाने का निवेदन किया, परन्तु पटवारी हल्का ने राजस्व रिकॉर्ड में दुरूस्ती करने से इन्कार कर दिया और आपके न्यायालय में चाराजोही करने की हिदायत दी। यही वाद कारण है। वादपत्र न्यायालय के क्षेत्राधिकार, श्रवणाधिकार व पूर्ण कोर्ट फीस पर पेश है। अतः वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि चक 3 एक्स, पटवार हल्का 3 एक्स, भू.अ.नि. क्षेत्र धनूर, तहसील श्री करणपुर की जमाबंदी सम्वत 2073 ता 2076 के खाता संख्या 03/03 में अंकित नाम अर्शदीप सिंह (नाबालिग) पुत्र नरेन्द्र सिंह के स्थान पर अर्शदीप सिंह पुत्र नरेन्द्र सिंह दर्ज किए जाने के आदेश दिए जावे।

वादपत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादी को जरिए सम्मन तलब किया गया। तहसीलदार श्रीकरणपुर के पंत्राक 1843 दिनांक 05.05.2023 से रिपोर्ट प्राप्त हुई। प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार चक 3 एक्स के खाता संख्या 3/3 के मुरब्बा नम्बर 26, 42, 57, 66/46 की 2.049 हेक्टैयर भूमि वादी के नाम दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। अर्शदीप सिंह को [illegible] विरास्तन अपने पिता नरेन्द्र सिंह व माता प्रदीप कौर का वर्ष 2009 में स्वर्गवास होने [illegible] प्राप्त हुई थी। उस समय अर्शदीप सिंह नाबालिग था। अतः जमाबन्दी में [illegible] नाम के साथ [illegible] जुडा हुआ है। अर्शदीप सिंह की जन्म दिनांक 23.05.2001 है एवं वादी अब बालिग हो चुका है। इस कारण से जमाबन्दी से नाबालिग शब्द हटाया जाना उचित है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2023.06.09 14:50:07 IST
Reason: SelfAttested

बहस सुनी गई व पत्रावली का अवलोकन किया, वादपत्र वादी, शपथ पत्र, रिपोर्ट तहसीलदार श्रीकरणपुर का अध्ययन किया। वादी अधिवक्ता की बहस को सुनते हुए संगत विधिक प्रावधानों का अध्ययन किया। पत्रावली तथा इसके साथ प्रस्तुत दस्तावेजात यथा चक 3 एक्स, पटवार हल्का 3 एक्स, भू.अ.नि. क्षेत्र धनूर, तहसील श्री करणपुर की जमाबंदी सम्वत

2073 ता 2076 के खाता संख्या 03/03 की प्रति, आधार कार्ड की छायाप्रति, जन्म प्रमाण पत्र की छायाप्रति, पैन कार्ड की छायाप्रति, कक्षा 8 की अंकतालिका की छायाप्रति के अवलोकन से स्पष्ट है। वादी द्वारा चक 3 एक्स, पटवार हल्का 3 एक्स, भू.अ.नि. क्षेत्र धनूर, तहसील श्री करणपुर की जमाबंदी सम्वत 2073 ता 2076 के खाता संख्या 03/03 में वादी के नाम आगे अंकित नाबालिग शब्द हटवाने बाबत निवेदन किया है। वादी के पहचान सम्बन्धी दस्तावेजात यथा आधार कार्ड, पैन काड, जन्म प्रमाण पत्र, कक्षा 8 की अंकतालिका के अनुसार वादी अर्शदीप सिंह बालिग हो चुका है। रिपोर्ट तहसीदार श्रीकरणपुर के अनुसार अर्शदीप सिंह को उक्त भूमि विरास्तन अपने पिता नरेन्द्र सिंह व माता प्रदीप कौर का वर्ष 2009 में स्वर्गवास होने पर प्राप्त हुई थी। उस समय अर्शदीप सिंह नाबालिग था। अतः जमाबन्दी में प्रार्थी के नाम के साथ नाबालिग जुडा हुआ है। अर्शदीप सिंह की जन्म दिनांक 23.05.2001 है एंव वादी अब बालिग हो चुका है। इस कारण से जमाबन्दी से नाबालिग शब्द हटाया जाना उचित है। अतः वाद पत्र वादी रिपोर्ट तहसीलदार श्रीकरणपुर, वादी के पहचान सम्बन्धी दस्तावेजात, शपथ पत्र के आधार पर स्वीकार किया जाना हम विधिसंगत समझते है।

-:आदेश:-

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में वादपत्र वादी अंतर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, 136-राजस्व भू अधिनियम 1956 भली-भांति सावित होने से स्वीकार किया जाकर चक 3 एक्स, पटवार हल्का 3 एक्स, भू.अ.नि. क्षेत्र धनूर, तहसील श्री करणपुर की जमाबंदी सम्वत 2073 ता 2076 के खाता संख्या 03/03 में अर्शदीप सिंह (नाबालिग) पुत्र नरेन्द्र सिंह के स्थान पर अर्शदीप सिंह पुत्र नरेन्द्र सिंह दर्ज किये जाने के आदेश दिए जाते है। इस खाता के शेष अंकन व रहन बदस्तुर रहेगे। पर्चा डिक्री इस आशय का जारी हो। पर्चा डिक्री की एक प्रति तहसीलदार श्रीकरणपुर को पालनार्थ प्रेषित हो। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तकमील जाब्ता पत्रावली दाखिल दफ्तर/ लेख भण्डार जमा हो।

{सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस)}
सहायक कलेक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्री करणपुर जिला श्रीगंगानगर

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्री करणपुर

निर्णय आज दिनांक 24.05.2023 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर प्रशासन गांवो के संग अभियान-2023 में सुनाया गया।

{सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस)}
सहायक कलेक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्री करणपुर जिला श्रीगंगानगर

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्री करणपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2023.06.09 14:50:07 IST
Reason: SelfAttested

अंतिम डिक्री बमुकदमे इब्तदाई

{ऑर्डर 20, रूल 6-7, जाब्ता दीवानी}
(Civil Procedure Code, Appendix "D-1")

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी {राजस्व} मुकाम श्रीकरणपुर
ब इजलास श्री सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस.)

अर्शदीप सिंह बनाम राजस्थान सरकार

धारा अन्तर्गत 88 आरटीए, 136 एलआरएक्ट मुकदमा नम्बर **49/2023**

निर्णय दिनांक :- 24.05.2023

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीकरणपुर व हाजरी **वादी अधिवक्ता श्री सतीश कुमार अरोडा उपस्थित होने पर** आदेश दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि वादपत्र वादी अंतर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, 136-राजस्व भू अधिनियम 1956 भली-भांति साबित होने से स्वीकार किया जाकर चक 3 एक्स, पटवार हल्का 3 एक्स, भू.अ.नि. क्षेत्र धनूर, तहसील श्री करणपुर की जमाबंदी सम्वत 2073 ता 2076 के खाता संख्या 03/03 में अर्शदीप सिंह (नाबालिग) पुत्र नरेन्द्र सिंह के स्थान पर अर्शदीप सिंह पुत्र नरेन्द्र सिंह दर्ज किये जाने के आदेश दिए जाते है। इस खाता के शेष अंकन व रहन बदस्तुर रहेगे। उपर्युक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावे।

आज दिनांक 24.05.2023 को यह पर्चा डिक्री मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

{सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस.)}
सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर

मुददई	रूपया	पैसा	मुदायली	रूपया	पैसा
स्टाम्प अरजीदावा	02	00	स्टाम्प वकालतनामा	00	00
स्टाम्प वकालतनामा	02	00	स्टाम्प अरजी	00	--
स्टाम्प ड्यूटी	00	00	मेहनताना वकील पर	00	--
योग	04	**00**	**योग**	**00**	**00**

{सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस.)}
सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्री करणपुर जिला श्रीगंगानगर

क्रमांक: रीडर/ 2023/222

दिनांक: 24.05.2023

प्रतिलिपि: तहसीलदार श्रीकरणपुर को पालनार्थ भेजकर लेख है कि उक्त डिक्री अनुसार पालना कर, पालना रिपोर्ट अद्योहस्ताक्षरकर्ता न्यायालय में भिजवाना सुनिश्चित करे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2023.06.09 14:50:07 IST
Reason: SelfAttested

{सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस.)}
सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्री करणपुर जिला श्रीगंगानगर